<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)</u>

–:: आदेश ::–

क्रमांक–............../दो–12–03/2010 दमोह, दिनांक ...... सितंबर, 2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/5971/चार–3–01/65 (एकजाई) जबलपुर दिनांक 22.08.2023 के साथ प्राप्त अनुमोदित सूची अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थीगण को **स्टेनोग्राफर ग्रेड–3** के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200+ ग्रेडपे 2400 (म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत के अंतर्गत लेवल 06 के पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 25300–80500/–) में एवं देय अन्य भत्ते पर तीन वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन अन्य आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है :–

स. क्र.	नाम, पिता/पति का नाम, पता सहित	पद	वर्ग	लिंग	दिव्यांग	आवंटित प्रवर्ग
1	श्री अंकित नामदेव पिता श्री रामगोपाल नामदेव, निवासी हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास, ग्राम कुण्डेश्वर, जिला टीकमगढ़ पिनकोड–472001, मोबा.नं.–9131486631	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	अ.पि.व.	पुरूष	नहीं	अ.पि.व.
2	श्री राहुल ठाकुर गौंड पिता श्री कन्हैयालाल ठाकुर गौंड, निवासी म.नं. 200, तिली रोड, अहमद का बगीचा, वृन्दावन वार्ड, सागर जिला सागर पिनकोड–470002 मोबा.नं.–6265204028	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	अ.ज.जा.	पुरूष	नहीं	अ.ज.जा.
3	प्रियंका गौंड पिता श्री भवूदे गौंड निवासी गांधी वार्ड, देवरी जिला सागर पिनकोड–470226, मोबा.नं.–7440634653	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	अ.ज.जा.	महिला	नहीं	अ.ज.जा.
4	रंजना पिता सुरेश उईके निवासी बिछुआ पोस्ट जुंगावानी, तहसील अमरवाडा, जिला छिंदवाड़ा पिनकोड–480221 मोबा.नं.–7610721966	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	अ.ज.जा.	महिला	नहीं	अ.ज.जा.

–:: शर्तें ::–

1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार **तीन वर्ष परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का** प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि **स्टायपेंड** के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड से आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। यदि आरोग्यता प्रमाणपत्र किसी भी समय/स्तर पर असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की सेवायें स्वमेव निरस्त मानी जावेंगी तथा नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी द्वारा चरित्र सत्यापन प्रपत्र पूर्ति कर मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया जावे। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो अभ्यथी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी आरक्षी थाने में अनुसंधान लंबित नहीं होने व किसी भी न्यायालय में

आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने एवं न ही विचाराधीन होने के संबंध में तथा किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा अपनी वैवाहिक स्थिति एवं संतान के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

6. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के अनुसार वह अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र होगा/होगी जो निम्न में कोई हो :–

   (ए)–उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

   (बी)–उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियॉ (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।

   (सी)–जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।

   (डी)–जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

   (ई)–जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते हुए आगामी प्रसव में दो से अधिक संतान का जन्म होता है)।

7. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के सम्बन्ध में अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर, अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगीं तथा ऐसे अभ्यथियों के विरूद्ध वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही भी की जावेगी।

8. The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment & Conditions of Service) Rulse, 2016, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 एवं मध्यप्रदेश (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम–1966 के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च्‍ा न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश/निर्देश, यथास्थिति लागू होंगे।

9. नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण काल मध्यप्रदेश जिला न्यायिक स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2016 के नियम–17 के अनुसार रहेगा। **नियुक्ति आदेश दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य है।**

10. अभ्यर्थी की सेवायें सदैव शासनाधीन है, किसी भी समय आपकी सेवायें ली जा सकती है।

11. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।

12. अभ्यर्थी बिना अनुमति लिये किसी शैक्षणिक परीक्षा अथवा अन्य नियोजन हेतु सीधे आवेदन नहीं करेगें।

13. अभ्यर्थी नियुक्ति पद पर उपस्थित होने के पश्चात् उक्त सेवा के अलावा अन्य किसी नियोजन/व्यवसाय/वृत्ति में नियोजित नहीं रहेगें।

14. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के कूटरचित अथवा असत्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी तथा वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

15. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

16. शैक्षणिक, तकनीकी एवं अर्हकारी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के संबंधित जारीकर्ता संस्था से सत्यापन में असत्य पाये जाने पर, सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में की गई घोषणा असत्य पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक/अभियोजन

सम्बन्धी कार्यवाही भी की जावेगी।

17. अभ्यर्थी अन्य किसी जिला न्यायिक स्थापना पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तर हेतु 3 (तीन) वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

(श्रीमती रेणुका कंचन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक–................../ दो–12–29/2021 दमोह, दिनांक ...... सितंबर 2023

प्रतिलिपि :–

1– जिला कोषालय अधिकारी दमोह (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– श्री अंकित नामदेव पिता श्री रामगोपाल नामदेव, निवासी हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास, ग्राम कुण्डेश्वर, जिला टीकमगढ़ पिनकोड–472001, मोबा.नं.–9131486631

4– श्री राहुल ठाकुर गौंड पिता श्री कन्हैयालाल ठाकुर गौंड, निवासी म.नं. 200, तिली रोड, अहमद का बगीचा, वृन्दावन वार्ड, सागर जिला सागर पिनकोड–470002, मोबा.नं.–6265204028

5– प्रियंका गौंड पिता श्री भवूदे गौंड निवासी गांधी वार्ड, देवरी जिला सागर पिनकोड–470226, मोबा.नं.–7440634653

6– रंजना पिता सुरेश उईके निवासी बिछुआ पोस्ट जुंगावानी, तहसील अमरवाडा, जिला छिंदवाड़ा पिनकोड–480221, मोबा.नं.–7610721966

7– प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.) की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने तथा संबंधित अभ्यर्थीगण को ईमेल किये जाने हेतु प्रेषित।

9– लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक/ऑफिस मोहर्रिर/प्रेषक लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)